"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. ए. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2009—श्रावण 1, शक 1931

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-23/2009/वाक. (पं.)/पांच (34).—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-1-2/2006/वाक. (पं.)/पांच (100) रायपुर, दिनांक 21-12-2006 के शर्त की कंडिका-1 में संशोधन करते हुए शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2009

क्रमांक एफ 10-23/2009/वाक. (पं.)/पांच (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-23/2009/वाक. (पं.)/पांच (34), दिनांक 22-07-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd July 2009

NOTIFICATION

No. F 10-23/2009/CT (R)/V (34).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby, amends para-1 of conditions of this Departments Notification No. F 10-112/2006/CT (R)/V (100) Dated 21-12-2006 and substitutes the word "three years" in place of "one year".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.